HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 472/2026
In
S.B. Criminal Revision Petition No. 1665/2026
CNR: RJHC020842322026 | URN: CRLR / 3040U / 2026

Deepak Goyal S/o Shri Trilok Chand, R/o Sitaram Bazar, Kesarganj, P.s. Clock Tower, Ajmer, District Ajmer.
(Presently Lodged At Central Jail Ajmer).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jai Prakash Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Naresh Gupta, PP
For Complainant(s)	:	Mr. Ankur Singh, Adv. Mr. Hariom Vyas, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

08/09/2026

1. यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र याची–अभियुक्त **दीपक गोयल पुत्र त्रिलोकचंद** की ओर से अंतर्गत **धारा 442 सपठित धारा 438 बीएनएसएस** विद्वान अपीलीय न्यायालय– **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर** द्वारा दाण्डिक अपील संख्या **20/2020** में पारित निर्णय व आदेश दिनांक **20.08.2026** से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय– **न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर(उत्तर), अजमेर** द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या **98/2017 (903/2015)** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **05.03.2020** जिसके द्वारा याची–अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. एवं धारा 134/187 मोटर यान अधिनियम, 1988 में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया, जिसकी पुष्टि की गई–

अपराध अंतर्गत धारा	सजा	अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड
279 भा.दं.सं	06 माह का साधारण कारावास	1,000/– रुपये	10 दिन का साधारण कारावास अतिरिक्त
304ए भा.दं.सं	01 वर्ष का साधारण कारावास	10,000/– रुपये	02 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त
134/187 मोटर यान अधिनियम	01 माह का साधारण कारावास	–	–

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त की ओर से नियम 311(3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रस्तुत गवाहान परिवादी पक्ष से संबंधित होने से हितबद्ध साक्षी है एवं स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। उनका यह भी कथन है कि मृतक की स्वयं गलती से दुर्घटना कारित हुई है, याची–अभियुक्त द्वारा मृतक को कोई टक्कर नहीं मारी गई है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से एवं गहनता से अवलोकन किए बिना ही क्रमशः आलोच्य आदेश दिनांक **20.08.2026** एवं आदेश दिनांक **05.03.2020** पारित किए हैं, जो विधिसम्मत नहीं हैं, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद था एवं निर्णय दिनांक **20.08.2026** से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान लोक अभियोजक ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि याची–अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में टक्कर मारी गई है एवं विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशोंमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः

याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

6. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत निगरानी याचिका के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, याची–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा निगरानी में उठाए गए कानूनी मुद्दों एवं निगरानी के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः याची–अभियुक्त **दीपक गोयल पुत्र त्रिलोकचंद** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **08.10.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो **अपीलीय न्यायालय तथा विचारण न्यायालय** द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय क्रमशः दिनांकित **20–08–2026** तथा **05–03–2020** के तहत दिए गए **''दण्डादेश''** (sentence) की क्रियान्विती को इस निगरानी याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं याची/अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(BHUWAN GOYAL),J

6/NIKITA